फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री सुनील कुमार **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 251''क'' रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 06/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 07.06.2023

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प मोरठ में पेश हुई। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं, जिसे रेकार्ड पर लिया जाता हैं। प्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 1 राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 2 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी अब तक जवाब पेश नहीं, आज भी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। प्रार्थीगण व राजपेरोकार को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र का मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 2 द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थीगण मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 3104 में आने जाने के लिए विपक्षी सं. 2 की आराजी नम्बर 3114 में से होकर 30 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थी के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता आराजी नम्बर 3114 रकबा 0.6961 में से 0.0276 हेक्टेयर (276 वर्ग मीटर) भूमि रास्ते हेतु प्रयुक्त होती है, जिसकी डीएलसी दर 58,75,191/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की राशि 1,62,155/– रूपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 2 की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है, वह वर्तमान में विपक्षी सं. 2 भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर के नाम पर दर्ज हैं। इस प्रकार नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 3104 में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 2 की आ.न. 3114 रकबा 0.6961 मे से 0.0276 हेक्टेयर (276 वर्ग मीटर) भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 30 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 58,75,191/– अक्षरे अठावन लाख पचहत्तर हजार एक सौ इकरानवे रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0276 हेक्टेयर (276 वर्ग मीटर) की कुल कीमत 1,62,155/– रूपये बनती है, जिसका दुगुना 3,24,310/– रूपयें तीन लाख चौबीस हजार तीन सौ दस रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी सं. 2 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 2 को भूगतान के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
यक कलक्टर
) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:09:25 IST
Reason: SelfAttested